Extract of Act No. 1 of 1982 relating to Energy Development Cess

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 of 1982

THE MADHYA PRADESH UPKAR ADHINIYAM, 1981

[Received the assent of the President on the 16th December, 1981; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 12th January 1982].

An Act to provide for levy of certain cesses.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

* * * * *

PART—I ENERGY DEVELOPMENT CESS

2. In this part unless there is anything repugnant in the subject or context,— Definitions.

(a) 'cess' means the energy development cess levied under section 3;

(b) 'Fund' means the energy development fund referred to in sub-section (2) of section 3;

(c) words and expressions used but not defined in this part and defined in Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949), shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

3. (1) Subject to the exceptions specified in section 4, every distributor of electrical energy shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of [illegible] paise per unit on the total units of electrical energy sold or supplied to a consumer or consumed by himself or his employees during any month: Levy of energy development cess.

Provided that no cess shall be payable in respect of electric energy—

[1][(i) (a) sold or supplied to the Government of India for consumption by that Government; or

(b) sold or supplied to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India ;]

[2][(*ii*) sold or supplied in bulk to a Rural Electric Co-operative Society registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);]

Explanation.—For the purposes of this sub-section 'month' means such period as may be prescribed.

(2) The proceeds of the cess under sub-section (1) shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of cess realised by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Electrical Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State Government of Madhya Pradesh.

(3) The amount in the credit of the fund shall, at the discretion of the State Government be utilised for——

(*a*) research and development in the field of energy including electrical energy as well as other conventional and non-conventional sources of energy;

(*b*) improving the efficiency of generation, transmission, distribution and utilisation of energy including reduction of losses in transmission and distribution;

(*c*) research in design, construction, maintenance, operation, and materials of the equipment used in the field of energy with a view to achieve optimum efficiency, continuity and safety;

(*d*) survey of energy sources including non-perenial sources to alleviate energy shortage;

(*e*) energy conservation programmes;

(*f*) extending such facilities and services to the consumers as may be deemed necessary;

(*g*) creation of a laboratory and testing facilities for testing of electrical appliances and equipments and other equipments used in the field of energy;

(*h*) programmes of training conducive to achieve any of the above objectives;

(*i*) transfer of technology in the field of Energy;

2[(*ii*) any purpose connected with safety of electrical installations; and]

(j) any other purposes connected with improvement of generation, transmission, distribution or utilisation of electrical and other forms of energy, as the State Government may, by notification, specify.

Explanation.—In this sub-section 'energy' includes all conventional and non-conventional forms of energy.

(4) If any question arises as to whether the purpose for which the fund is being utilised is a purpose falling under sub-section (3) or not, the decision of the State Government thereon shall be final and conclusive.

Madhya Pradesh Act No. X of 1947 and rules made thereunder to apply.

4. The provisions of sections 4 to 9 (both inclusive) of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949) and the rules made thereunder shall mutatis mutandis apply to cess under this Act as they apply to levy of duty on sale or consumption of electrical energy under that Act and for that purpose reference to 'duty' or 'electricity duty' in the said Act or the rules made thereunder, as the case may be, shall be construed as reference to 'cess'.

—1541—USED--1-12-86-500.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2005—माघ 26, शक 1926

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 1290/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 11-02-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 28 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (1982 का सं.-1) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल के द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलाएगा.

(2) यह उस तारीख से प्रवृत होगा, जिसे राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982), (इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहलाएगा) की धारा 3 में :-

(1) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द ''एक पैसा'' के स्थान पर शब्द ''पांच पैसा'' स्थापित किया जाय.

(2) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात् नवीन उपधारा (1-क) निम्नानुसार अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :-

''(1-क) विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक केप्टिव उत्पादक उस ऊर्जा पर जो किसी मास के दौरान उसकी 100 किलोवॉट क्षमता से अधिक केप्टिव पॉवर इकाई या डीजल या अन्य जनरेटर सेट के द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, ऊर्जा विकास उपकर दस पैसा प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार को चुकायेगा;

परन्तु-

(एक) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा;

(दो) किसी रेल कंपनी के जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा;

(चार) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत किसी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा;

(पांच) स्थानीय निकायों द्वारा जिनमें वे नगर पालिका निकाय व पंचायतें भी सम्मिलित हैं जो ऐसी निकायों द्वारा अनुरक्षित किसी बाजार स्थान में सड़क बत्ती या बत्तियां या जलसंकर्म या लोक समागम के किन्हीं अन्य स्थानों में उपभुक्त की जाने हेतु;

Scanned by CamScanner

उपभुक्त की गई विद्युत ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा;

परन्तु यह और कि ऊर्जा विकास उपकर की रकम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अथवा शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा संगृहित की जायेगी और इस प्रकार संगृहित रकम राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी.

टीप :- केप्टिव पॉवर इकाई के निर्धारण के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 में दी गई परिभाषा लागू होगी."

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक-1290/21-अ/प्रारुपण/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 28 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 28 of 2004)

CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2004

An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fifth year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from such date which the State Government may appoint in the notification.

2. In Section 3 of Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) (herein after referred to as the Principal Act) :- **Amendment of Section 3.**

(1) In sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act for the words "One Paisa" the words "Five Paisa" shall be substituted.

(2) After sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act the following new sub-section (1-a) shall be inserted, namely :-
"(1-a) every producer of electrical energy shall pay to the State Government an energy development cess at the rate of ten paisa per unit on the electrical energy sold or supplied to a consumer or consumed by himself or his employees by his captive power unit or diesel or other generator set of more than 100 Kilowatt capacity during any month;

Provided, that no cess shall be payable in respect of electrical energy consumed by;

(i) the Government of India for consumption by that Government;

(ii) the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India;

Scanned by CamScanner

(iii) the State Government for consumption by that Government;

(iv) a Rural Electric Co-operative Society registered under the Chhattisgarh Co-operative Society Act, 1960 (No. 17 of 1961);

(v) the local bodies including Municipal bodies and Panchayats for consumption in public street lamp or lamps in any market place or water works or any other places of public resort maintained by such bodies;

Provided futher that the amount of energy development cess shall be collected by the Chhattisgarh State Electricity Board or any other institute authorized by the State Government and the amount so collected shall be made available to the State Government.

Note:- For the purpose of defining captive power unit the definition included in the Electricity Act, 2003 may apply."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.

Scanned by CamScanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2010—श्रावण 29, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 10183/198/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-08-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 19 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 की उपधारा (1) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, शब्द "पांच पैसा" के स्थान पर, शब्द "दस पैसे" प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्रमांक 10183/198/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 19 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 19 of 2010)

CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of sub-section (1) of Section 3.

2. In sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) for the words "Five Paisa" the words "Ten Paise" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012—चैत्र 24, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्रमांक 3095/डी.-109/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-04-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्र. 1 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(तीन) घरेलू बीपीएल कनेक्शन उपभोक्ता को विक्रय या प्रदाय की गई हो.

(चार) नि:शुल्क विद्युत उपभोग की विहित सीमा तक पात्र कृषि सिंचाई पंप कनेक्शन उपभोक्ता को कृषक जीवन ज्योति योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समान प्रयोजन की किसी योजना के अंतर्गत विक्रय या प्रदाय की गई हो.

(पांच) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के अंतर्गत पात्र इकाई/उद्यमी/विकासकर्ता को विक्रय या प्रदाय की गई हो."

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्रमांक 3095/डी.-109/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2012)

CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. After clause (ii) of proviso to sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), the following shall be inserted, namely :—

"(iii) sold or supplied to the domestic BPL connection consumer.

(iv) sold or supplied to the eligible agriculture irrigation pump connection consumer under Krishak Jivan Jyoti Yojna or any scheme with a similar purpose as the State Government may notify, up to prescribed limit of free electricity consumption.

(v) sold or supplied to the eligible unit/entrepreneur/developer under Special Economic Zone Policy notified by the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अगस्त 2013—श्रावण 10, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक 6505/डी. 229/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उप-धारा (1) के परंतुक के खण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(छः) किसी विद्युत उत्पादन कंपनी जिसमें राज्य शासन की कम से कम 26 प्रतिशत अंशधारिता हो, द्वारा उपभोग या उपयोग की गई अथवा राज्य शासन के स्वामित्व की वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बेची या प्रदाय की गई विद्युत के संबंध में कोई ऊर्जा विकास उपकर देय नहीं होगा.

स्पष्टीकरण—

1. इस धारा के प्रयोजन हेतु सरकारी कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी में अंशधारिता राज्य शासन की अंशधारिता मानी जाएगी.

2. "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (17) में है.

3. "उत्पादन कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (28) में है.

4. "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (31) में है."

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक 6505/डी. 229/21-अ/प्रारू./छ.ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2013)

CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ACT, 2013

An Act to further amend the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. After clause (v) of proviso to sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), the following shall be added, namlely :—

"(vi) Consumed or used by any generating company, in which the State Government holds at least twenty six percent equity, by it or sold or supplied to a Distribution Licensee owned by the Government.

Explanation.—

1. For the purpose of this Section, equity holding by a Government Company in its Subsidiary Company shall be deemed to be equity holding of the State Government.

2. **"Distribution Licensee"** shall have the same meaning as defined under sub-section (17) of Section 2 of the Electricity At, 2003 (No. 36 of 2003).

3. **"Generating Company"** shall have the same meaning as defined under sub-section (28) of Section 2 of the Electricity At, 2003 (No. 36 of 2003).

4. **"Government Company"** Shall have the same meaning as in sub-section (31) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003)."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 फरवरी 2023 — फाल्गुन 3, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. 2323/डी. 19/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 13–02–2023 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्र. 1 सन् 1981) को और संशोधित करने हेतु **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा **प्रारंभ.** 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 कहलायेगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

भाग–3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्र. 1 सन् 1981) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) के भाग–3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"भाग–3

स्थावर संपत्ति के अंतरण पर उपकर

8. इस भाग में शब्द "स्थावर संपत्ति" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (क्र. 4 सन् 1882) में उसके लिए समनुदेशित किया गया है।

9. (1) विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक कालावधि के पट्टे के माध्यम से स्थावर संपत्ति के अंतरण पर इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार उपकर प्रभारित किया जाएगा, उद्गृहीत किया जाएगा तथा संदत्त किया जाएगा:

परन्तु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन छूट, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन उपकर के संबंध में उसी सीमा तक लागू होंगी, जिस सीमा तक कि वे, उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क को इस प्रकार लागू होती हो, मानो कि उपकर, उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क हो।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर, स्थावर संपत्ति के अंतरण की लिखत के रजिस्ट्रीकरण के साथ चुकाया जाएगा और वसूल किया जाएगा। उपकर के भुगतान को, अंतरण के विलेख पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन जारी किये गये स्टाम्प चिपकाकर दर्शाया जायेगा।

(3) उपकर, उस व्यक्ति के द्वारा देय होगा, जिसके द्वारा भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन स्टाम्प शुल्क देय है।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके अधीन कोई अधिकारी, किसी दस्तोवज को रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक ग्रहण नही करेगा, जब तक कि उप–धारा (1) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर पूर्णतः चुका न दिया गया हो।

(5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 48 के उपबंध, इस भाग के अधीन उपकर की वसूली पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार कि वे, इस अधिनियम के अधीन शुल्क एवं शास्तियों की वसूली पर लागू होते हैं।

(6) उपकर के आगम, ग्रामीण विकास निधि एवं छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना से संबंधित प्रयोजन के लिए उपयोजित किये जायेंगे।

उपकर से प्राप्त राजस्व का विभाजन विहित रीति से किया जायेगा।"

अनुसूची का जोड़ा जाना.

3. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"अनुसूची
लिखतों पर उपकर
(धारा 9(1) देखिये)

स.क्र.	लिखतों का विवरण	संपत्ति का विवरण	उपकर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विक्रय, दान भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक की कालावधि के लिए पट्टा	स्थावर संपत्ति के अंतरण पर	स्टाम्प शुल्क की उस रकम के, जिससे कि ऐसे अंतरण की लिखत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की अनुसूची 1–क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभार्य है, 12 प्रतिशत की दर से।"

अटल नगर, दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. 2323/डी. 19/21–अ/प्रारू./छ.ग./23. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 22–02–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2023)

THE CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ACT, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1981).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Act, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Part III.

2. For Part-III of the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1981), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-

"Part-III
Cess on transfer of Immovable Property

8. In this part the term "Immovable Property" shall have the same meaning as assigned to it in the Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882).

9. (1) There shall be charged, levied and paid a cess as per Schedule appended to this Act on transfer of immovable property by way of sale, gift, usufructuary mortgage or lease for a

period of thirty years or more:

Provided that the exemptions under the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) shall, mutatis mutandis, apply to the same extent in relation to the cess under this Act as they apply to duty chargeable under that Act as if the cess were a duty chargeable under that Act.

(2) The cess charged and levied under sub-section (1) shall be paid and recovered alongwith the registration of instrument of transfer of immovable property. The payment of the cess, shall be denoted on the instrument of transfer by affixing stamps issued under the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899).

(3) The cess shall be payable by the person by whom the stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), is payable.

(4)Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), no officer thereunder shall accept any document for registration unless the cess charged and levied under sub-section (1) is paid in full.

(5) The provisions of Section 48 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) shall apply to recovery of cess under this Part as they apply to recovery of duties and penalties under this Act.

(6) The proceeds of cess shall be applied to rural development fund and for the purpose related to Chhattisgarh Employment Mission & Rajiv Mitan Club Scheme.

The revenue received from the cess shall be distributed in the prescribed manner."

3. After Section 11 of the Principal Act, the following Schedule shall be added, namely:- **Addition of Schedule.**

"SCHEDULE
Cess of Instruments
[See Section 9(1)]

Sr. No.	Descreption of Instruments	Descreption of Property	Cess
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sale, Gift, usufructuary mortgage or lease for a period of thirty years or more	On transfer of immovable property	At the rate of 12 percentum of the amount of stamp duty with which instrument of such transfer is chargeable in accordance with the relevant Article in Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899)."